माइक्रो ऑब्जर्वर प्रशिक्षण के निरीक्षण में पहुंचे सामान्य प्रेक्षक एवं कलेक्टर

❒ निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखना आपका कार्य-सामान्य प्रेक्षक सी.एन. लोंगफाई

❒ मतदान के पूर्व महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर रखें विशेष ध्यान-कलेक्टर

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आयोजित माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण में आज सामान्य प्रेक्षक आईएएस सी.एन.लोंगफाई तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल रायगढ़ पहुंचे।

प्रशिक्षण में सामान्य प्रेक्षक आईएएस सी.एन लोंगफाई ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराना माइक्रोऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माइक्रोऑब्जर्वर का कार्य प्रेक्षक के प्रतिनिधि के तौर पर मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर सभी प्रक्रियाओं को देखना हैं। मतदान केन्द्र में किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां संज्ञान में आने पर उन्हें अवगत कराएं एवं निर्वाचन के सभी गतिविधियों की टाइमिंग निर्धारित प्रपत्र पर भरते रहेंगे।

कलेक्टर गोयल ने निर्वाचन हेतु नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर को कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती हैं, क्योंकि आपको निर्वाचन की संपूर्ण गतिविधियों को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया से पूर्व मॉक पोल, सीआरसी करना आवश्यक है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही माइक्रोऑब्जर्वर को मॉकपोल अपने सामने संपन्न कराना है। मतदान कब शुरू हुआ और अंतिम मतदाता ने किस समय अपना वोट डाला, एक निश्चित समयावधि एवं सायं 5 बजे मतदान केंद्र पर कितने लोग लाइन में लगे हुए थे, वोटिंग कंपार्टमेंट किस तरह से बनाया गया था, जिससे वोट की गोपनीयता बनी रही।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने मतदान दिवस की सारी प्रक्रियाओं की बारीकी से जानकारी देते हुए मतदान केन्द्र में बरती जाने वाली सावधानियों से माइक्रो ऑब्जर्वर को अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के संबंधित प्रश्न पूछते हुए, निर्वाचन प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माइक्रोऑब्जर्वर रिपोर्ट के किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने होम वोटिंग प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर, जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल, मास्टर ट्रेनर डॉ.नरेन्द्र पर्वत उपस्थित रहे।

निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न आवेदन करने वाले पात्र मतदाताओं को सुविधा केन्द्र में मतदान करने की मिलेगी सुविधा

❒ फार्म-12 में अभी तक आवेदन नहीं कर पाये है वे सृजन सभा कक्ष के प्रथम तल में बनाये गये पोस्टल बैलेट सेल में 8 नवम्बर तक कर सकते है आवेदन

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। सुरक्षा बलों के सदस्य, वाहन चालक, क्लीनर/हेल्पर, बसों के कन्डक्टर, वीडियोग्राफर, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रोऑब्जर्वर, उडनदस्ता/स्थैतिक निगरानी दलों के सदस्य, वीडियो निगरानी दल के सदस्य, वीडियो अवलोकन दल के सदस्य, अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न कर्मचारी पोस्टल बैलेट हेतु पात्र हैं। रायगढ़ जिला अंतर्गत 5 नवम्बर 2023 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा के 1092, क्रमांक 16-रायगढ़ के 1655, क्रमांक 18-खरसिया के 1289 एवं विधानसभा क्रमांक 19-धरमजयगढ़ के 1047 कुल 5083 निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं द्वारा फार्म-12 में पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन किया गया है। यदि कोई पात्र मतदाता फार्म-12 में अभी तक आवेदन नहीं कर पाये है तो कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन सभा कक्ष के प्रथम तल में बनाये गये पोस्टल बैलेट सेल में 8 नवम्बर 2023 तक आवेदन कर सकते है।

डाक मतपत्र हेतु फार्म-12 में आवेदन करने वाले पात्र मतदाताओं को सुविधा केन्द्र में मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। दिनांक 8.11.2023 से 11.11.2023 तक डिग्री कॉलेज रायगढ़, पी.डी. कामर्स कॉलेज रायगढ़, नटवर स्कूल रायगढ़, एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज रायगढ़ में मतदान दलों तथा सेक्टर अधिकारियों के तृतीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र में ही डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र बनाया जायेगा, जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 के मध्य बारी-बारी से सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र जारी करते हुए मतदान की सुविधा प्रदान की जावेगी।

इसी प्रकार सुरक्षा बलों के सदस्यों हेतु पुलिस कंट्रोल रूम, चक्रधर नगर थाना परिसर में डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र में 10 एवं 11 नवंबर 2023 को संचालित किया जायेगा, जिसमें नियत तिथि तक फार्म-12 में आवेदन करने वाले सुरक्षा बलों के सदस्यों को डाक मतपत्र जारी करते हुए मतदान की सुविधा प्रदान की जावेगी। फार्म-12 में डाक मतपत्र हेतु आवेदन करने वाले अन्य सभी श्रेणी के मतदाताओं हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन सभा कक्ष के प्रथम तल में सुविधा केन्द्र बनाया गया है जिसमें ऐसे मतदाताओं को 9 एवं 10 नवंबर तथा 14 से 16 नवंबर 2023 तक डाक मतपत्र जारी करते हुए मतदान की सुविधा प्रदान की जावेगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने किया कमिशनिंग कार्यो का निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने सुबह मंडी परिसर सारंगढ़ के कमिशनिंग हाल में कमिशनिंग कार्य का अवलोकन किया। डॉ. सिद्दीकी ने रिटर्निंग अधिकारियों मोनिका वर्मा व डॉ. स्निग्धा तिवारी से निर्वाचन दल के संबंध में चर्चा की। कमिशनिंग अंतर्गत ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन में चुनाव चिन्ह को लोड करके प्रिंट करके परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में जो मशीन सही प्रिंट कर रही है उसको मतदान के लिए भेजा जाता है। यदि मशीन सही प्रिंट नहीं कर रही तो उसको बदला (रिप्लेस किया) जाता है। डॉ. सिद्दीकी ने सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा के कमिशनिंग दल द्वारा किए जा रहे कमिशनिंग के बारे में कर्मचारियों से पूछताछ किया। कलेक्टर ने कौन सा दल कितना कार्य किया इस बारे में कर्मचारियों से जानकारी ली। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज और टी.आर. महेश्वरी उपस्थित थे।

सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक का मोबाइल नंबर और मुलाकात का समय जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र 17-सारंगढ़ के लिए आईएएस तापस राय (मो.नं.75870-16590) को और विधानसभा क्षेत्र 43-बिलाईगढ़ के लिए आईएएस पवन कुमार (मो.नं.75870-16591) को सामान्य प्रेक्षक (जनरल आब्जर्वर) और आईपीएस राजेन्द्र कुमार मीणा (75870-16592) को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। विधानसभा सारंगढ़ और बिलाईगढ़ अंतर्गत किसी भी निर्वाचन संबंधी शिकायत आदि के लिए इन सभी आब्जर्वर से विश्राम गृह सारंगढ़ में मिलने के लिए आरक्षित समय दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक राजनीतिक दल, मीडिया प्रतिनिधि एवं आम जनता मुलाकात कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इन आब्जर्वरों के साथ व्यय आब्जर्वर रत्नेश कुमार सिंह भी विश्राम गृह सारंगढ़ में ठहरे हैं।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से ठगी

रायपुर (आरएनएस)। स्टाप नर्स के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 76300 रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ऐश्वरी सिन्हा 29 वर्ष कुशालपुर सीतला कालोनी पुरानी बस्ती की रहने वाली है। बताया जाता है कि आरोपी अर्पित कुमार एक्का ने प्रार्थिया को जगदलपुर में स्टाप नर्स के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 बार 76300 रुपए लेकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थिया की शिकायत पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा पार

रायपुर (आरएनएस)। कोटा रोड स्थित रयान किचन के पास खड़ी एक्टिवा को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दीपक कुमार मुंदड़ा 48 वर्ष कृष्णा लैण्ड मार्क कोटा का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह अपनी एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 एलएफ 4897 को कोटा रोड स्थित रयान किचन के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया।

सीआईएसएफ की बटालियन कर रही सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ईव्हीएम मशीनों की सुरक्षा

❒ सीसीटीवी कैमरा से भी निर्वाचन मुख्य केन्द्र (मंडी परिसर) की निगरानी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टोरेट सारंगढ़ के बाजू मंडी परिसर से संचालित निर्वाचन कार्य अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 17-सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र 43 के डाकमत पत्र, ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन की सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के बटालियन द्वारा किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार सीआईएसएफ के इस बटालियन के सुरक्षा जवानों का खाना-पीना, निवास, शौचालय आदि का कैम्प व्यवस्था मंडी परिसर में ही किया गया है। मंडी परिसर के स्ट्रांग रूम से लेकर मंडी के सभी कोनों में सुरक्षा बैरक बनाया गया है। मंडी परिसर के सभी दिशाओं का सुरक्षा बैरक से जवानों द्वारा पाली-पाली कर 24 घंटे जवान ड्यूटी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मंडी परिसर में सीसीटीवी कैमरा से भी सुरक्षा निगरानी की जा रही है।

खेत के बोर घर से सोलर पंप चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार

❒ लैलूंगा पुलिस ने आरोपी से चोरी की सोलर पंप बरामद कर भेज रिमांड पर

रायगढ़। करीब एक माह पहले 14 अक्टूबर को ग्राम पोतरा निवासी बांछानिधी प्रधान द्वारा थाना लैलूंगा में आवेदन देकर उसके खेत में बने घर कैमरा से अज्ञात चोर द्वारा 14-15 अगस्त की रात सोलर मोटर पंप चोरी कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिदिन बोर घर का ताला शाम को बंद कर अपने घर आ जाता था। 15 अगस्त को सुबह खेत गया तो देखा अज्ञात चोर बोर घर का ताला तोडकर अंदर रखे 3 हार्स पावर सोलर पंप को चोरी कर ले गया था। लैलूंगा पुलिस द्वारा धारा 457, 380 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी पर नकबजनी का अपराध दर्ज कर माल मुल्जिम की पतासाजी कर रही थी।

इसी दरमियान आज दिनांक 07.11.2023 के दोपहर ग्राम भ्रमण दौरान थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम रूढ़केला का खिलेंद्र चौहान उर्फ पांवा एक चोरी की मोटर पंप को बेचने ग्राहक तलाश कर रहा है। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा ग्राम रूढ़केला तस्दीक के लिए स्टाफ भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा संदेही खिलेंद्र चौहान उर्फ पांवा को हिरासत में लेकर सोलर पंप के संबंध में कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर डेढ़-दो महीना पहले ग्राम पोतरा से पंप की चोरी करना बताया। आरोपी खिलेंद्र चौहान उर्फ पांवा पिता कमलसाय चौहान उम्र 21 साल निवासी रूढ़केला थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ का मेमोरेंडम कथन लेकर आरोपी के निशानदेही पर उसके घर से चोरी की 3 हार्स पावर सोलर पंप कीमती रु. 15,000 को बरामद किया गया है। आरोपी खिलेंद्र चौहान का साथी उसके घर से फरार मिला जिसकी पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी खिलेंद्र चौहान को नकबजनी के अपराध में रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी की पतासाजी/गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, आरक्षक हेलारियुस तिर्की, राजू तिग्गा की प्रमुख भूमिका रही है।

दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों से 10 किलो गांजा बरामद, तस्करों को भेजा गया जेल

❒ ओड़िसा से सवारी ऑटो में बैठकर गांजा ला रहे दो आरोपियों को चक्रधरनगर पुलिस ने एकताल बेरियर पर नाकेबंदी कर पकड़ा

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस को गांजा रेड कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तस्करों के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मुखबिर से मिली थी सूचना - थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर मादक पदार्थों पर कार्यवाही के लिए, मुखबिर सक्रिय कर रखा गया है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर को कल दिनांक 06.11.2023 के सुबह मुखबीर से सूचना मिली कि कनकतोरा (ओडिसा)- एकताल रोड़ की ओर से दो व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति एक विमल पान मसाला का थैला के अंदर एवं दूसरा व्यक्ति एक काला रंग का बैग में मादक पदार्थ गांजा लेकर सवारी ऑटो से रायगढ़ की ओर निकले हैं। थाना प्रभारी द्वारा एकताल बैरियर पर लगे एसएसटी टीम को अलर्ट कर गांजा रेड के लिए टीम एकताल रवाना किया गया। चक्रधरनगर पुलिस टीम द्वारा एकताल बेरियर के पास ओड़िसा की ओर से आ रही ऑटो क्रमांक सीजी 13 वाई 6493 को रूकवाया गया। सवारी ऑटो में चालक सहित पांच सवारी बैठे थे। पूछने पर चालक अपना नाम शहबाज खान निवासी मौदहापारा रायगढ़ और सवारी नवरतन मेहर निवासी बजरंगडीपा रायगढ़, मदन यादव निवासी बजरंग पारा रायगढ़ था मुखबीर के बताये अनुसार हुलिया वाले दो संदेही सवारी मिले जिन्होंने अपना नाम पता (1) देवीलाल मीणा पिता कन्हैया लाल मीणा उम्र 55 वर्ष साकिन आम्बेह लबाचक्र थाना फतेगढ़ जिला गुना मप्र (2) दौलत बंजारा पिता प्रेमसिंह बंजारा उम्र 32 वर्ष साकिन अम्बे थाना कुम्हराज जिला गुना मप्र का होना बताये। दोनों संदेहियों के संबंध में ऑटो चालक से पूछने पर दोनों को कनकतोरा (ओडिसा) से रायगढ़ के लिए 200 रूपये में सवारी बैठाना बताया। दोनों के पास रखे थैला और बैग की तलाशी में पुलिस को 10 किलो गांजा, कीमती 1 लाख रूपये का मिला जिसके संबंध में दोनों संदेहियों ने अवैध बिक्री के लिए लेकर जाना बताये। आरोपी - देवीलाल मीणा और दौलत बंजारा पर थाना चक्रधरनगर में धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गांजा रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उप निरीक्षक जी.एल. साहू, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, श्वेत बारिक, राजेश सिदार की अहम भूमिका रही है।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने निर्वाचन सामग्री का भौतिक किया सत्यापन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने सुबह मंडी परिसर स्थित निर्वाचन भंडार कक्ष का अवलोकन किया। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने भंडार प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर बी.एक्का से निर्वाचन सामग्री वितरण की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली और निर्वाचन सामग्री का भौतिक सत्यापन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. माहेश्वरी, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान आदि उपस्थित थे।

विधानसभा प्रत्याशियों को पूर्व के अपराधिक प्रकरण की जानकारी अखबार और सोशल मीडिया में करना होगा प्रकाशन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा उनके पहले के अपराधिक प्रकरण के संबंध में पत्र (क्रमांक 6975, दिनांक 06 नवंबर 2023) जारी किया है। जारी पत्र अनुसार रिटर्निंग आफिसर हैंडबुक के अनुलग्नक-47 अंतर्गत फार्मेट सी-1 से सी-8 तथा फार्मेट CA (सीए) का उल्लेख है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों से अपेक्षा किया है कि पूर्ववर्ती अपराधिक प्रकरण की जानकारी सर्वसाधारण (आमजनों) की जानकारी के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।

जारी पत्र अनुसार कहा गया है कि आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र, जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएव्हीपी या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन संस्था के मानक अनुसार न्यूनतम 75 हजार या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में वितरण हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों जो डीएव्हीपी या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन संस्था के मानक अनुसार न्यूनतम 25 हजार वितरण हो, में प्रकाशन की कार्यवाही किया जाना है।

निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा उनके पहले के अपराधिक प्रकरण का प्रथम प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी 04 दिवस के अंदर (02 नवंबर से 06 नवंबर के मध्य) द्वितीय प्रकाशन-7 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवंबर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवंबर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवंबर तक) 2023 किया जाना है।

एडिशनल एसपी ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 07.11.2023 के दोपहर एडिशनल एसपी संजय महादेवा के साथ एसडीओपी धरमजयगढ़, एसडीओपी खरसिया, ट्रैफिक डीएसपी, प्रशिक्षु डीएसपी एवं नगर कोतवाल ने जिले के रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चेक पोस्ट कठली, लारा, बडमाल, एकताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम कठली पर तैनात SST टीम के साथ अधिकारियों ने वाहनों की जांच में शामिल होकर आने-जाने वाले वाहनों को चेक कर रिकॉर्ड हेतु संधारित रजिस्टर को चेक किया गया। एडिशनल एसपी तथा अधिकारियों ने स्थैतिक निगरानी दल (SST Team) के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देशित करते हुए चेक पोस्ट पर वाहनों की बारीकी से जांच करने और आदर्श आचरण संहिता के अनुसार किसी भी चुनाव प्रभावित सामग्रियों के मिलने पर तत्काल अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन पर जिले के तीनों विधानसभा में स्थैतिक निगरानी दल सभी 20 चेक पोस्ट पर निगरानी पर चौबीसों घंटे तैनात हैं। एसएसटी टीम द्वारा चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की जांच के साथ जिले में उड़नदस्ता (FST Team) निर्वाचन व्यय, नगदी, अवैध शराब अथवा चुनाव प्रभावित सामग्रियों के आवाजाही पर कड़ी नजर रखे हुए है। जिले में प्रशासन व पुलिस द्वारा आदर्श आचरण संहिता का कड़ाइ से पालन कराया जा रहा है। एडिशनल एसपी संजय महादेवा के साथ चेक पोस्ट के निरीक्षण दौरान पुलिस एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, ट्रैफिक डीएसपी रमेश कुमार चंद्रा, प्रशिक्षु डीएसपी अमन लखीसरानी, थाना प्रभारी कोतवाली शनिप रात्रे एवं थाना प्रभारी चक्रधरनगर प्रशांत राव अहेर द्वारा वाहनों की जांच करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480